

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता ,बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-22 / 2017-18

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता-

चिन्तामनी देवी, पति-स्व० घासु पातर मुण्डा, ग्राम-बुढ़ाडीह, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहणी।

क्रेता का नाम एवं पता-

श्रीमती प्रेम मोनिका मिंज, पति-श्री सुनील उराँव, ग्राम-बुढ़ाडीह, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-उराँव, पेशा-गृहणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम-

श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-02/05/2017 को आवेदन देकर छो०का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता श्रीमती प्रेम मोनिका मिंज, पति-श्री सुनील उराँव, ग्राम-बुढ़ाडीह, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-उराँव, पेशा-गृहणी के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुढ़ाडीह	तमाड़	182	127	521	22 डी० मध्ये 06 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, तमाड़ के पत्रांक-607(ii), दिनांक-23/11/17 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम कारतीक पातर वल्द सुखलाल पातर के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत आवेदिका का ससुर है।
- (ख) पंजी-11 के अनुसार रैयत का नाम घासु पातर है।
- (ग) जमीन्दारी रैयत से विक्रेता का संबंध - विक्रेता जमाबन्दी रैयत के पत्नी है।
- (घ) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि टाँड़ नं० III किस्म की है।
- (ङ) जमीन का मालगुजारी वर्ष 2012-13 तक वसूली गयी है।

8

- (च) प्रस्तावित जमीन बिक्री या दान देने वाले क्षेत्र में आवेदिका का हिस्सा-निजी हिस्सा है।
- (छ) प्रस्तावित जमीन बिक्री या दान देने के पश्चात आवेदिका के पास 5.72 एकड़ जमीन शेष रह जाएगा।
- (ज) जमीन बिक्री का उद्देश्य मकान निर्माण कराना है।
- (झ) क्रेता एवं विक्रेता दोनों आदिवासी समुदाय के सदस्य हैं तथा एक ही ग्राम एक ही थाना क्षेत्र के मुल एवं स्थायी निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a के तहत विक्रेता चिन्तामनी देवी, पति-स्व० घासु पातर मुण्डा, ग्राम-बुढ़ाडीह, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहणी को क्रेता श्रीमती प्रेम मोनिका मिंज, पति-श्री सुनील उराँव, ग्राम-बुढ़ाडीह, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-उराँव, पेशा-गृहणी के हाथों प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-02/05/2017 को आम इस्तेहार का निर्गत किया गया था। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता चिन्तामनी देवी, पति-स्व० घासु पातर मुण्डा, ग्राम-बुढ़ाडीह, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहणी को क्रेता प्रेम मोनिका मिंज, पति-श्री सुनील उराँव, ग्राम-बुढ़ाडीह, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-उराँव, पेशा-गृहणी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a के तहत दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुढ़ाडीह	तमाड़	182	127	521	22 डी० मध्ये 06 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

12/12/17
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू राँची।

12/12/17
भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू राँची।